मैं
एक व्यक्ति
एक मानव
एक नागरिक
एक भारतीय

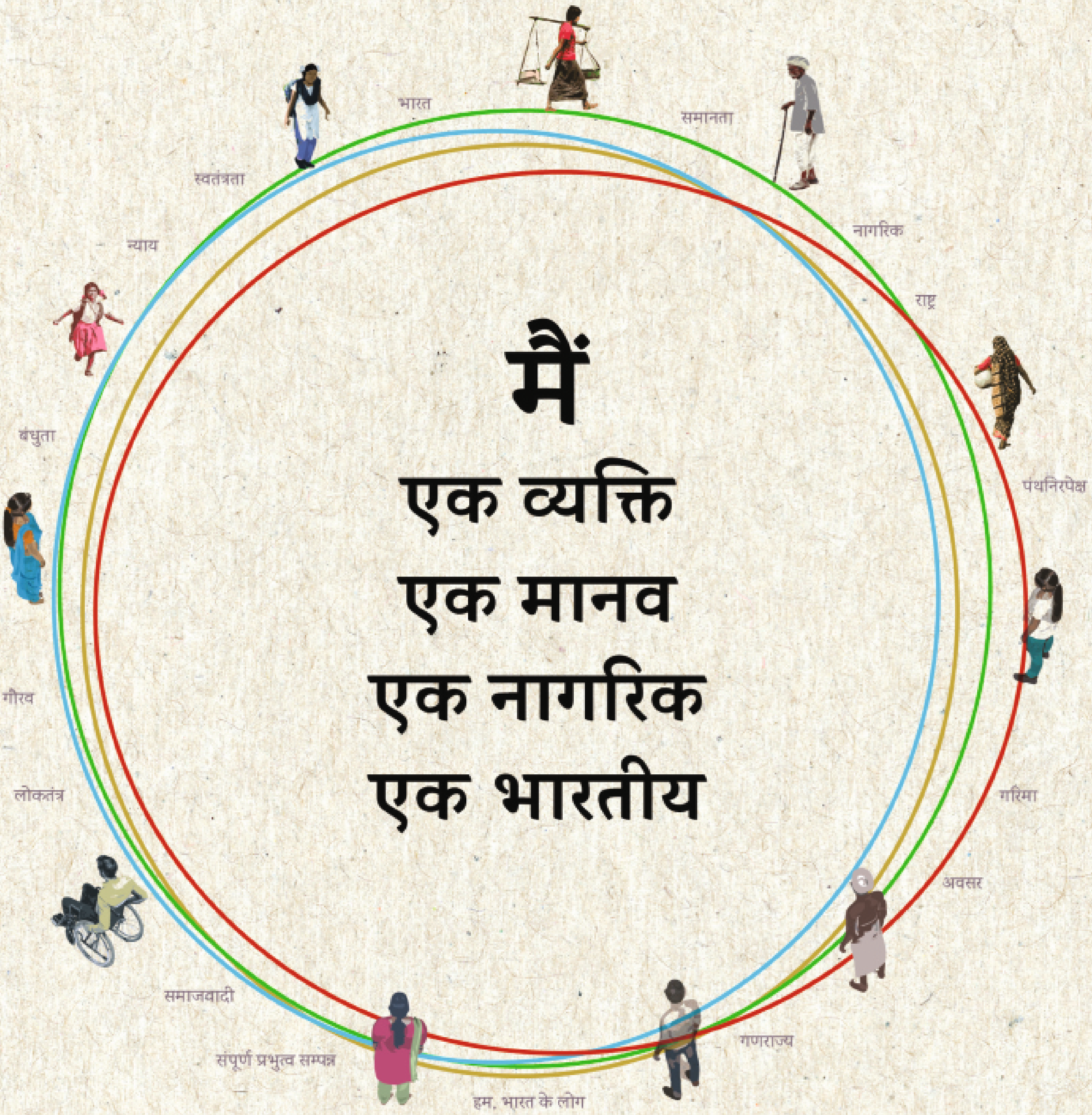

भारत का संविधान - हमारे जीवन का मार्गदर्शक

हमारा जीवन और संविधान

हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं। कई अवसर मिलते हैं। छोटे बड़े मुद्दे आते हैं। तथा संघर्ष व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सबके चलते हमेशा ही हमारा लक्ष्य होता है कि हम विकास करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।

वास्तव में देखा जाए तो मानव विकास और कल्याण हमेशा ही सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा रहा है। हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान भी यही मुख्य मुद्दा था। यह हमारे संविधान के एक मुख्य सिद्धांत के तौर पर माना गया और इसे मूलभूत मूल्यों और देश को चलाने वाले अन्य सिद्धांत में रचा बसा हुआ देखा जा सकता है।

हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान के द्वारा हमारे देश को "इंडिया, अर्थात भारत" का नाम दिया और साथ ही इस में भारत के नागरिक होने की परिभाषा भी दी गई। संविधान के द्वारा हमारे देश में एक लिखित व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें -

- कानून का शासन सभी पर लागू होता है, चाहे वह शहर के हों या गाँव के, या क़स्बे के, अमीर या ग़रीब, किसान, व्यापारी, ट्रांसजेंडेर, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े आदि
- सभी बराबर हैं, कोई कितना भी ताक़तवर दिखता हो, कानून से ऊपर या उससे बाहर नहीं हो सकता
- सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है ताकि वह देश से जुड़े हुए निर्णय लेने में अपनी भागीदारी दे सकें
- सभी नागरिकों को ऐसा जीवन मिलने का अधिकार है, जहाँ उन्हें सभी मूलभूत अधिकार मिलते हों और कोई कितना भी शक्तिशाली हो इन मूलभूत अधिकारों को नहीं ले सके
- सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने के नज़रिए से राज्य की शक्तियों का उचित बँटवारा किया गया है, साथ ही यह व्यवस्था भी है, जिससे कि राज्य की संस्थाएँ एक दूसरे की शक्तियों पर उचित रोक लगा सकें
- सभी कुछ मानवीय मूल्यों यानी कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है; मानव अधिकारों और जीवन की जड़ में भी यही मूल्य हैं।

संविधान में, उद्देशिका के बाद, 22 भाग हैं जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और अंत में 12 अनुसूचियाँ भी हैं।

संविधान मूलरूप से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। बाद में यह अन्य सभी राजकीय भाषाओं में रूपांतरित किया गया और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है।

संविधान सभा को पूरे संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा।

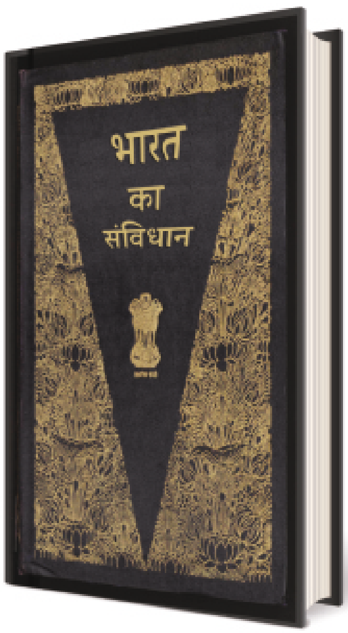

संविधान मूलरूप से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। बाद में यह अन्य सभी राजकीय भाषाओं में रूपांतरित किया गया और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है।

संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इस दिन को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया जो 1949 में गठित हुई। इस सभा में 389 सदस्य थे। देश के बँटवारे के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संविधान सभा में 299 सदस्य बाक़ी रह गए। यह सभी सदस्य देश के अलग अलग समुदायों, क्षेत्रों, धर्मो और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

संविधान को हाथ से, प्रेम बिहारी नारायण राएज़ादा और वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया और उसमें दी गई चित्रकारी और कलाकारी, नंदलाल बोस और उनके साथियों द्वारा की गई थी।

इस सभा में अलग अलग विषयों पर 17 से अधिक समितियां थीं| ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता डॉ भीम राव अम्बेडकर द्वारा की गई थी।

संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं।

हमारी मार्गदर्शिका
संविधान की उद्देशिका

संविधान की शुरुआत में उद्देशिका दी गई है। यह उद्देशिका, हमारे संविधान का एक बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण परिचय है। यह भारत के लोगों द्वारा किये गए दृढ़ संकल्प के तौर पर लिखा हुआ है। उद्देशिका कहती है -

हम, भारत के लोग...

भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए...
इसका अर्थ यह है कि हमने अपने देश को इन विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित किया है।

तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, समानता, और स्वतंत्रता...
यह सभी मूलभूत मानवीय मूल्य हैं और यह मूल्य हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्षों और कोशिशों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन मूल्यों को अपनाना और सुरक्षित करना चाहिए।

उन सब में, व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए...
बंधुत्व का यह मूलभूत मानवीय मूल्य हमें साथ मिलजुलकर रहने और एक दूसरे की गरिमा को सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है।

इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
यह दर्शाता है कि हमें संविधान को पूरी चेतना के साथ अपनाना है। हम संविधान स्वयं को दे रहे हैं, हम इसके मूल्यों, अपेक्षाओं और उम्मीदों को अपना रहे हैं, जिससे कि सभी के अधिकारों की रक्षा हो पाए। हम सबको मिलकर इसे और मज़बूत बनाने के लिए काम करना होगा।

जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय देश में भुखमरी, अकाल, दंगे और गरीबी जैसी समस्याएं थीं। इसके बावजूद संविधान ने इन मूल्यों को महत्व दिया और उनको एक विशेष स्थान दिया गया।

आइए हम स्वयं को याद दिलाएँ कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें इन मूल्यों को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है।

क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे मूल्य हैं जो आप अपने रोज़ाना के व्यवहार में अपनाते हैं?

यह मूल्य क्या हैं?

संविधान में दिए गए मूल्यों के संदर्भ में अपने मूल्यों को जाँचे।

हम, भारत के लोग - अर्थात सभी लोग, वर्तमान के, भूत काल, और भविष्य काल के, सभी धर्मों के, सभी जगहों के, हर जाति, वर्ग, लिंग, भाषा और अलग-अलग विचार धाराओं के लोग इस में शामिल हैं।

संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न - अर्थात लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र हैं और अपने कानून बनाने और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

समाजवादी - अर्थात राज्य इस तरह काम करेगा जिससे कि सभी को समाज में समान दर्जा और समान अवसर मिले, सभी में सम्पत्ति का बराबर से बँटवारा हो और सभी को गौरवपूर्ण जीवन स्तर मिले।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

न्याय - अर्थात सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मामलों में सही और निष्पक्ष अवसर मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

पंथनिरपेक्ष - अर्थात राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं।

समानता - इसका मतलब यह नहीं कि हम सब एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि हम सभी जितने भी अलग हैं पर हम सभी को समान दर्जे और समान अवसर पाने की स्वतंत्रता है।

स्वतंत्रता - अर्थात जिस भी तरह हम चाहें, उस तरह बोलने की और अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सभी लोग किसी भी मान्यता या धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्रत हैं।

गणराज्य - अर्थात राज्य का मुखिया - राष्ट्रपति, वंश के अनुसार नहीं होगा बल्कि चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है।

लोकतंत्र - अर्थात लोग अलग-अलग (राष्ट्र, राज्य और स्थानीय) स्तर पर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हैं। हर 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। वोट डालना, अपनी भागीदारी के अधिकार को इस्तेमाल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।

बंधुता - अर्थात एक दूसरे के गौरव का सम्मान करना और एक दूसरे का साथ देना।

"मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका महत्वपूर्ण है और इसके महान और श्रेष्ठ परिकल्पना के संदर्भ में ही संविधान को पढ़ा जाना चाहिए और उसकी व्याख्या की जानी चाहिए।"

एस एम सीकरी,
पूर्व मुख्य न्यायाधीश

हमारे मौलिक अधिकार

संविधान हमारे मानवीय अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। संविधान समाज के पिछड़े वर्ग के अधिकारों की ओर विशेष ध्यान देता है। यह सभी अधिकार संविधान की बुनियाद में दिए गए मूल्यों से ही जुड़े हुए हैं।

राज्य की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इन सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। राज्य अगर इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में असफल रहता है तो इस बात को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है।

यह अधिकार इस बात का आश्वासन देता है कि संविधान सभी के अधिकारों की सुरक्षा करता है - अमीर, ग़रीब, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विकलांग, कम या अधिक आय वाले, या अन्य कोई भी।

मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं।

मौलिक अधिकार
भाग 3

समानता का अधिकार

14 विधि के समक्ष समता

15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

17 अस्पृश्यता का अंत

18 उपाधियों का अंत

"प्रस्तावना में दिए गए इन मार्गदर्शक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान के भाग तीन में हमारे लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय, भारत

मध्य प्रदेश के, रतलाम शहर के, कुछ लोगों ने वहाँ की म्युनिसिपैलिटी के सामने यह बात रखी कि उनके क्षेत्र का नाला टूटा हुआ है। म्युनिसिपैलिटी का कहना था कि नाले की मरम्मत करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। नागरिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में यह अर्ज़ी लगाई कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा नाले की मरम्मत ना करना उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि म्युनिसिपैलिटी, बजट की कमी का बहाना नहीं ले सकती| यह मौलिक अधिकारों के हनन की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने रतलाम म्युनिसिपैलिटी को नाले की मरम्मत का आदेश दिया।

स्वतंत्रता का अधिकार

19
वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

20
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

21
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

21क
शिक्षा का अधिकार

22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23
मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम पर रोक

24
कारख़ानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25
अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

26
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

27
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों (taxes) के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता

28
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29
अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

30
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

32
इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार

क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में अर्ज़ी लगाई हो? क्या आपको लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है?

अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। क्या हम इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं या हम अल्पसंख्यक लोगों की मदद करते हैं कि वह इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकें?

हमारे
मौलिक कर्तव्य

संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यह एक ज़िम्मेदार नागरिक के लिए मार्गदर्शक के तौर पर देखे जा सकते हैं। यह कर्तव्य हमें अपने जीवन में मूल्यों यानी कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, और बंधुत्व को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं | सभी कर्तव्य हमें इस बात की ओर बढ़ावा देते हैं, कि हम अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ऐसा व्यवहार करें और कदम उठायें जिससे हम सभी के जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4क में दिए गए हैं।

क्या आपने अपने समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोचा है? और उनके प्रति जो आपके लिए काम करते हैं?

क्या आप उन लोगों का आदर करते हैं, जो आप से अलग हैं? हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अगर हम एक दूसरे का आदर न करें तो क्या होगा?

अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो क्या आप सवाल पूछते हैं?

जाधव मोलाई पाइंग को भारत के 'जंगल पुरुष' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पर्यावरण के लिए सजगता से अपने कर्तव्य को निभाया। वह पिछले 30 से अधिक वर्षों से लगातार वृक्ष लगाते रहे हैं। उन्होंने एक बंजर पड़ी जमीन, जहाँ जानवर भी एक-एक कर के मर रहे थे, उसे एक हरे भरे जंगल में बदल दिया।

अपनी इन कोशिशों के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम के द्वारा पुरस्कृत किया गया।

भाग 4क

अनुच्छेद 51क

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह

क संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे

ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे

ग भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे

घ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे

ङ भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो

धर्म	भाषा	प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो	ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है

च हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे

छ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत

वन	झील	नदी	वन्य जीव	रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे

ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे

झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे

ञ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उचाईयों को छू ले

ट यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे

हमारे परिवार, और समाज में कई रीति-रिवाज और व्यवहार इस तरह के होते हैं जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचती है। क्या इन व्यवहारों और रिवाजों को त्याग करने के लिए आप तैयार हैं?

हमारे राज्य की नीति के निदेशक तत्व

संविधान के अनुसार, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों में इन राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करें। यह सिद्धांत, उद्देशिका में दिए मूल्यों को लागू करता है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने में भी मदद करता है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व से जुड़े कुछ अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं।

बच्चों की शिक्षा संबंधित प्रावधान नीति निदेशक तत्वों में से एक हैं। बाद में यही प्रावधान मौलिक अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 21क में जोड़ा गया है।

अगर हम अपने आस-पास असमानताएं बढ़ती हुई देखें, तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा?

दिल्ली की कुसुम जैन और अन्य अभिभावकों का एक समूह इस बात को लेकर चिंतित था कि स्कूलों में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभिभावक समूह ने यह मुद्दा जब अध्यापकों के सामने उठाया तो उनका कहना था कि **दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973** का प्रावधान उन्हें इस बात की अनुमति देता है। वह विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत मार सकते हैं जिस से उनमें अनुशासन लाया जा सकता है। अभिभावक समूह ने न्यायालय में इस बात को चुनौती दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को हटाने का आदेश दिया और कहा कि यह प्रावधान व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुँचाता है और साथ ही समानता के विरुद्ध है।

हमारा अधिकार है कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, क्या वास्तव में ऐसा होता है?

क्या आपने कभी इस बात की मांग रखी है कि प्राइमरी शिक्षा के दौरान निर्देश, हमें हमारी मातृभाषा में ही दिए जाने चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान द्वारा प्रदान की गई एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा है।

हमेशा याद रखें कि आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वह आपका हक़ है, किसी की दया भाव या एहसान नहीं।

अनुच्छेद 38	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद 39	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
अनुच्छेद 39क	समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 43	कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद 43क	उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद 43ख	सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन
अनुच्छेद 44	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 45	छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालव्यवस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद 46	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद 48	कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48क	पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49	राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51	अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

कानून का शासन

'कानून का शासन' संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया, परंतु यह एक ऐसा मूलभूत सिद्धांत है जिस पर कि संविधान मुख्य रुप से आधारित है। इसका अर्थ है कि हम ऐसी कानूनी व्यवस्था से शासित होते हैं जिसके तहत सारे कानून और नियम हमारे अधिकारों और हमारी समृद्धि को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। इसका अर्थ, यह भी है कि सभी कानून, संविधान पर आधारित होने चाहिए, जो कि एक महा-कानून है। कोई भी कानून, संविधान की सीमा के बाहर नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा कोई कानून होगा तो वह न तो लोगों के हितों की रक्षा करेगा न ही मूल्यों और अधिकारों के अनुसार होगा। ऐसा कानून असंवैधानिक होगा।

कानून के शासन का मतलब यह भी है कि सभी लोग और संस्थाएँ कानून के तहत जवाबदेह हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे कितने भी शक्तिशाली और पैसे-वाले हों, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए हम यह सोच सकते हैं कि कुछ लोग, जैसे कि सरकारी अधिकारी, या फिर एम॰एल॰ए॰, या एम॰पी॰ या अन्य मंत्री बहुत शक्तिशाली होते हैं और जो कुछ चाहें कर सकते हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। उन सभी को यह सारी शक्तियां इसलिए दी जाती हैं जिससे वह हमारे अधिकारों की रक्षा करें और हमारी समृद्धि के लिए काम कर सकें। उन्हें यह सब शक्तियां कानून के तहत मिली हैं और वह उस कानून के तहत जवाबदेह हैं।

क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कानून से ऊपर हैं?

क्या शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर होते हैं?

हमेशा याद रखें संविधान महा-कानून है और कोई भी इस से ऊपर नहीं है।

जब आप परेशान होते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तब आप क्या सोचते हैं? क्या आप को उस समय यह ध्यान रहता है कि आपकी सहायता के लिए आपके पास संविधान है?

क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे कानून हैं जो असमानता-पूर्ण हैं या अन्याय-पूर्ण हैं या आपकी स्वतंत्रता पर अनुचित रोक लगाते हैं?

सचेत रहें, चर्चा करें और कदम उठाएं।

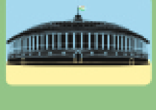

संविधान के भाग 20 में दिए गए प्रावधानों के तहत संसद को शक्ति मिली है कि वह संविधान में बदलाव ला सकती है। परंतु एक महत्वपूर्ण केस 'केसवानंदा भारती बनाम केरल राज्य (1973) के साथ – साथ कई अन्य मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि संविधान के मूलभूत ढाँचे में बदलाव नहीं लाया जा सकता। इस मूलभूत ढाँचे में मुख्य रुप से निम्न बिन्दु शामिल हैं – संविधान का सर्वोपरी होना, गणतंत्र, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का बाँटवारा, संघीय व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य, एकता और अखंडता, प्रभुत्व संपन्नता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा न्यायिक समीक्षा की शक्ति आदि।

हमारे कानून

हमारे जीवन का हर पहलू किसी न किसी कानून से जुड़ा होता है। एक सामान्य सा काम जैसे कि अपने दाँतों को साफ करना - इसमें भी कई कानून हैं। उदाहरण के लिए दाँतों के पेस्ट / मंजन पर यह लिखा होना ज़रूरी है कि उसमें क्या-क्या डाला गया है या फिर उसका अधिकतम मूल्य (एम॰आर॰पी) क्या है जिससे कि आपको कोई ठग न सके। यह सभी पहलू अलग-अलग कानूनों के प्रावधान हैं, जैसे की सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उपभोक्ता सामान अधिनियम, 2006।

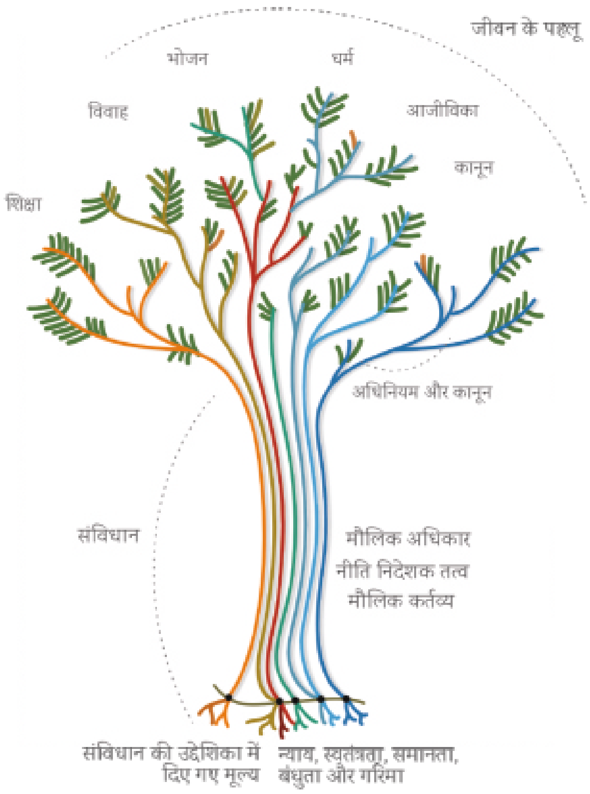

यह सभी कानून संविधान पर आधारित हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए कानूनों का उद्देश्य हमारी सुरक्षा और हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ बने हुए वृक्ष में आप देख सकते हैं कि इसकी शाखाएं हमारे जीवन के अलग-अलग मुद्दे पर बने कानून हैं और सभी अंततः संविधान से जुड़े हुए हैं।

कानून यह भी निर्धारित करता है कि यदि हम किसी समस्या का सामना करें तो उसके समाधान के लिए हमें किस जगह जाना होगा। वह विभाग या संस्था हमारे उस अधिकार की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है। इस तरह संविधान हमें ऐसे कानूनों का ताना बाना देता है जिससे कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो और जीवन के हर पहलू में समृद्धि आ सके।

जब हम एक पुलिस वाले को देखते हैं कि वह किसी को मार रहा है, तो क्या हम आवाज़ उठाते हैं? या क्या आवाज़ उठाने की सोचते भी हैं?

पुलिस किसी से साथ मारपीट नहीं कर सकती भले ही उस व्यक्ति पर किसी अपराध करने का आरोप लगा हो या किसी आपराधिक मामले में छानबीन चल रही हो।

क्या आप बच्चों के स्कूल जाने से संबंधित कानूनों को जानते हैं?

कुछ कानून बच्चों के विकास और सुरक्षा के मुद्दे से जुड़े हैं जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (स्कूल, टीचर, पढ़ाई आदि)
पोक्सो अधिनियम, 2012 (किसी भी प्रकार की यौन हिंसा से बचाव)
मोटरयान अधिनियम, 1988 (सड़क पर चलते समय सुरक्षा संबंधित कानून)।

हमारे राज्य की संस्थाएँ

हम सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, संविधान ने कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को शक्तियां दी हैं। जब इन सब को एक साथ देखते हैं तो उसे 'राज्य' कहते हैं। इसमें कानून बनाने वाली संस्था (विधायिका) उसको लागू करने वाली संस्था (कार्यपालिका) और कानून का व्याख्यान करने वाली संस्था (न्यायपालिका) शामिल हैं।

इन संस्थाओं की स्थापना इस प्रकार की गई है जिस से उन सभी की शक्तियों के बीच बाँटवारा और संतुलन बना रहे और यह एक दूसरे पर नज़र रख सकें और उचित रोक भी लगा सकें। विधायिका और कार्यपालिका आपस में काफी करीबी से जुड़े हुए हैं। विधायिका के कुछ सदस्य मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं और यह मंत्रिपरिषद के सदस्य कार्यपालिका की अध्यक्षता करते हैं। कार्यपालिका कानून को लागू करने के संबंध में विधायिका को जवाबदेह होती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से अलग है और स्वाधीन है ताकि वह निष्पक्ष तरीके से कानून की व्याख्या कर सके।

सभी के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए, ज़मीनी स्तर पर उन्हें सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं की शक्तियों को केंद्र और अन्य राज्यों के बीच बाँटा गया है। गणराज्य की व्यवस्था के तहत इन शक्तियों को उचित रूप से बाँटा गया है। केन्द्र और राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं उस के लिए संविधान की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ भी दी गयी हैं।

यदि राज्य किसी एक व्यक्ति के वश में होता तो क्या होता? क्या होता यदि उस व्यक्ति की नज़र में आपके अधिकारों का कोई मूल्य ही नहीं होता?

पुलिस, सरकारी स्कूल के अध्यापक, सरकारी डॉक्टर, वन अधिकारी, कलेक्टर, सरपंच, मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यह सभी हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी अधिकार हैं उन सभी के लिए कोई न कोई कर्तव्य-धारक होता है। यह पता करें कि आप के किस अधिकारों के लिए कौन कर्तव्य-धारक है, उसे संपर्क करें और अपनी समस्याओं का हल करें।

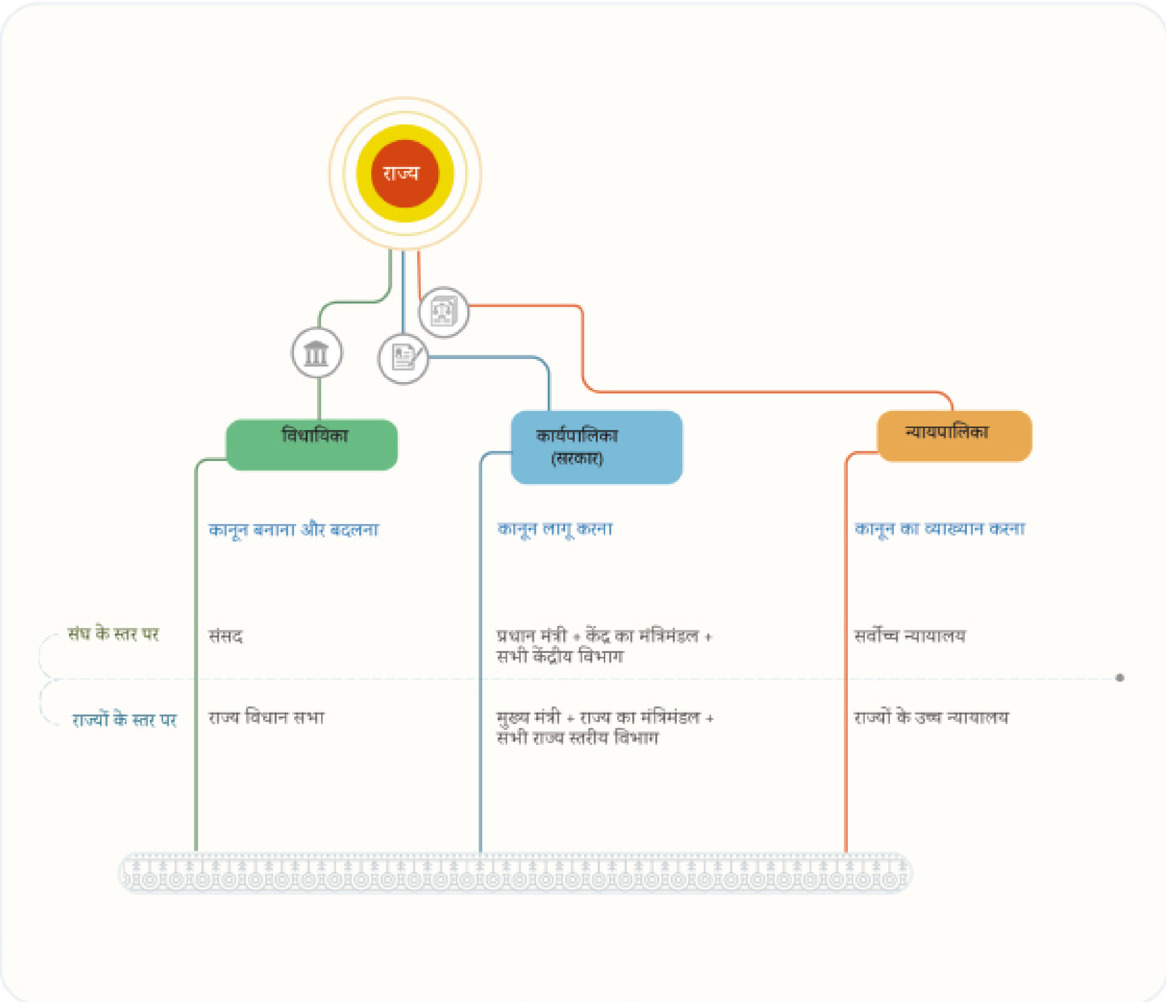

“न्यायपालिका की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि यह संविधान और कानून को बिना भय या पक्षपात के, निष्पक्षता से सुरक्षित करे।”

सर्वोच्च न्यायालय, भारत

स्व-सरकार के लिए हमारी संस्थाएँ

शक्तियों को जमीनी स्तर पर दिया गया है जिससे स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेते लोग अपनी ज़रूरतों का ध्यान रख सकें और शक्तियां केवल कुछ ही संस्थाओं में सीमित न रह जाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1992 में संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन किये गए – संविधान के भाग 9 में 73वाँ व 74वाँ संशोधन। राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व के प्रावधान के अनुसार स्व-सरकार की स्थापना संविधान के एक हिस्से के तौर पर की गई है|

इन संशोधनों को लागू करने हेतु पंचायती राज अधिनियम और म्युनिसिपल अधिनियम अलग-अलग राज्यों में पास किए गए और जिन राज्यों में पहले से ऐसे कानून थे उन्हें मजबूत किया गया। इन कानूनों में विस्तार से पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी की शक्तियों को बताया गया है।

पंचायतों की यह शक्ति और ज़िम्मेदारी है कि वह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएं व इनको लागू करें। यह सभी मुद्दे - खेती, जमीन, सिंचाई, पशुपालन, जंगल, आवास, पेय जल, सड़क, शिक्षा आदि और अन्य मुद्दे 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं।

इसी तरह म्युनिसिपैलिटी के भी कुछ कर्तव्य हैं जैसे गरीबी उन्मूलन, ग्रामोद्योग, महिला एवं बाल विकास शहरों की योजना, जमीन, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ़-सफाई, बस्तियों का विकास, पार्क और वह सभी मुद्दे जो 12वीं संशोधन अनुसूची में दिए गए हैं।

राज्य की संस्थाओं (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की तरह ही, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी, कोई भी काम या कोई भी नियम संविधान के विरुद्ध नहीं बना सकते हैं।

“देश में, 2, 53, 380 पंचायत हैं जिसमें 31 लाख प्रतिनिधि हैं। इनमें से 1439 लाख अर्थात 46% महिलाए हैं। मैंने यह देखा कि महिलाएं सभी को सम्मिलित करते हुए योजनाएं बनाती हैं।”

नरेंद्र सिंह तोमर

स्व-सरकार की संस्थाएँ

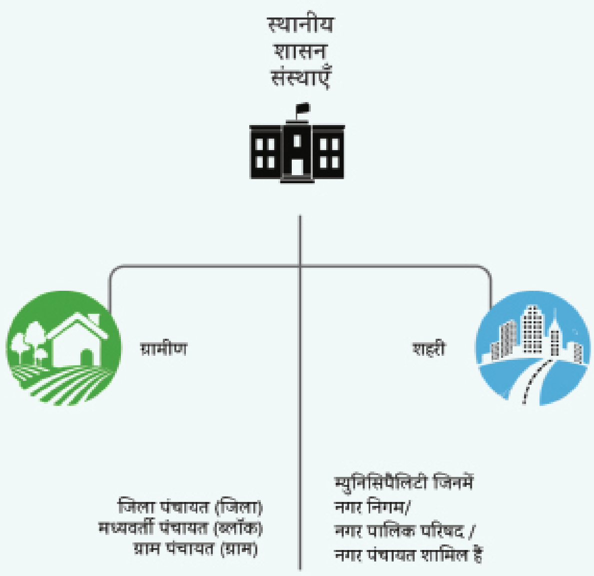

क्या सभी महिलाएं और पुरुष ग्राम सभा की मीटिंग में उपस्थित रहते हैं? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए के सभी ग्राम सभा की मीटिंग में उपस्थित रहें और अपने मुद्दों से संबंधित सही सवाल उठाएँ। हम सब मिलकर ही समाज में बदलाव ला सकते हैं।

संविधान की मंशा को ध्यान में रखते हुए, संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996 बनाया गया है जिसे पेसा भी कहते हैं।

आपके समुदाय में विकास संबंधी क्या ज़रूरतें हैं? समुदाय के सबसे अधिक उत्पीडित लोग कौन हैं?

वह क्या कारण हैं, जिससे समुदाय के विकास में बाधा आ रही है?

क्या आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह कानून पूरी तरह से लागू हों?

हमारा लोकतंत्र

नागरिकों को केंद्र में मानते हुए, पूरे ही संविधान में लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को रचाया - बसाया गया है। हम सभी नागरिकों की वजह से ही संविधान अस्तित्व में है। हमारे जीवन, हमारे हितों, हमारी सुख समृद्धि को ध्यान में रखते हुए संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों, तंत्र और व्यवस्था को बनाया गया है। यह व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि हम अलग – अलग स्तर पर अपनी बात रख पायें और इसलिए हम अलग अलग स्तर पर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हैं। यह अधिकार हम सब को समान रुप से मिला हुआ है। चुनाव से संबंधित कार्य और शक्तियाँ संविधान के भाग 15 में दिए गए हैं।

इस लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 है। यह कानून हम सभी नागरिकों को गुप्त और अहस्तांतरणीय मतदान का अधिकार देता है। साथ ही अन्य कानून जैसे की पंचायती राज (स्थानीय स्व-शासन व्यवस्था) में, या शिक्षा के अधिकार कानून में (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी - एस॰एम॰सी) या फिर खाद्य सुरक्षा कानून में (निगरानी समिति) के द्वारा लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व को लागू किया गया है।

लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि हम अपने में से ही किसी को चुनें और उन्हें यह ज़िम्मेदारी दें कि हमारे अधिकारों और हितों का ध्यान रखते हुए नियम बनाए और कार्य करे। यह सभी प्रतिनिधि हमें जवाबदेह हैं। यह लोग इस बात के लिए भी जवाबदेह हैं कि कानूनों को सही से लागू किया जाए और इस से संबंधित शक्तियां प्रदान की जाएँ। न्यायपालिका इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे संविधान और इसके सिद्धांत हर हाल में सुरक्षित रहें।

पूरी व्यवस्था हमारी है, हमारे द्वारा और हमारे लिए बनाई गई है। यह व्यवस्था हम सभी के आर्थिक योगदान से चलती है। हम सभी कम या ज़्यादा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों को दे कर आर्थिक योगदान करते हैं। जिससे हम, भारत के लोगों का विकास हो सके और हम सभी न्याय, गौरव और कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।

?

संविधान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देते हुए उनके लिए अलग-अलग स्तर पर यानी विधायिका, पंचायत और म्युनिसपैलिटी में सीट के आरक्षण की बात करता है।

क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? एक बार जब यह प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो हम क्या यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वह अपना काम ठीक से कर रहे हैं?

क्या आप जानते हैं कि आपके विधायक और सांसद का काम क्या होता है?

"किसी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय पर आधारित भेदभाव के बिना, एक पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यह प्रमाणित करता है कि हम लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत में सच्चा विश्वास रखते हैं।"

सरदार पटेल

संविधान के अनुरूप जीवन

संविधान हमें बहुत से कामों को करने की शक्ति, ज़िम्मेदारी और व्यवस्था प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्तर पर और मिलजुलकर सामाजिक स्तर पर, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हम इस संविधान का उपयोग किस तरह कर सकते हैं?

- अपने रोजमर्रा के जीवन में हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को दिशा निर्देश के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। हर दिन, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और समुदाय के साथ व्यवहार में हमें इन्ही मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह एक आसन काम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने उन व्यवहार और तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा, जो इन मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।
- नियमों का पालन करें। यह हमारी सुरक्षा के लिए हैं।
- मतदान देने से पूर्व ध्यान दें कि वह कौन सा व्यक्ति है जो हमारे हितों की सुरक्षा के लिए काम करेगा।
- सचेत रहें कि कहीं कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो तो अपनी आवाज़ उठाएं।
- अगर हमें लगता है कि किसी कानून को ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा तो अपनी स्थानीय व्यवस्था पंचायत, बी॰डी॰ओ॰, डी॰एम॰, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर के सामने इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं।
- यदि हम किन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधी कठिनाई का सामना कर रहे हों जैसे – सड़क, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य साफ-सफाई, आदि, तो हमे स्थानीय शासन प्रबंध - पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या संबंधित विभाग - के सामने आवाज उठानी चाहिए और ज़रूरी कदम भी उठाने चाहिए।
- अगर हमें यह लगता है कि हमें एक नए कानून की आवश्यकता है तो लोगों को साथ इकट्ठा कर अपनी बात अपने एम॰एल॰ए॰ या एम॰पी॰ के सामने रखनी चाहिए और उनसे यह कहना चाहिए कि वह इस बात को विधायिका में उठाएं।
- स्थानीय शासन व्यवस्था में पूरी भागीदारी निभाएं – आवाज़ उठाएं, अपना मत रखें, अपनी शंका ज़ाहिर करें, हिसाब मांगे और यह सुनिश्चित करें कि योजनाएं और बजट ठीक तरीके से लागू हों।
- और संविधान को जानें और उसका उपयोग करें। किसी भी समय और हर समय।

जब रश्मी को यह बात पता चली कि उसके गाँव के विद्यालय में साफ पीने का पानी नहीं है तो उसने इस पर क़दम उठाने का फैसला किया। वह 2 साल तक ग्राम सभा में यह मुद्दा उठाती रही। कोई सफलता न मिलने पर उसने इस से संबंधित शिकायत ब्लाक स्तर पर और बाद में जिला स्तर कार्यालय पर दर्ज कराई। उन्होंने नल की मरम्मत करने का प्रयास किया पर समस्या का हल नहीं हुआ। तब रश्मी ने यह शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई। उसने उसमें सभी संबंधित कानूनी प्रावधान और संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख किया। 2 सप्ताह के भीतर ही स्वास्थ्य अधिकारी आए और समस्या का हल हो गया। इस समय गाँव के विद्यालय के नल में साफ पीने का पानी आता है।

हमें अपनी सीमित सोच के चलते पीछे नहीं रहना होगा

हम कैसे सीखते हैं, कैसे कठिनाईयों का सामना करते हैं और कैसे जीत हासिल करते हैं – यह सभी हमारे जीवन का हिस्सा है। एक नागरिक का जीवन आसन नहीं है। यह हमारे अधिकारों और शक्तियों के संघर्ष की बात है। साथ ही यह मूल्यों पर चलकर आगे बढ़ने की बात है। जैसे-जैसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वैसे-वैसे नए लक्ष्य हमारे सामने आते रहते हैं। कई बार डट कर खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है, कई बार हम थक जाते हैं। पर यदि हम हमेशा सचेत रहें और एक दूसरे का साथ देते-लेते रहें तो यह सफर आसान रहेगा।

देश के नागरिको में पूरा विश्वास रखें और यह याद रखें कि संविधान की पूरी शक्ति हमारे साथ है। हम सब के साथ है। हमेशा।

"मैं समझता हूँ लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ किसी कमज़ोर को भी उतना ही अवसर मिलना है जितना किसी शक्तिशाली को।"

महात्मा गाँधी

सेना में महिलाओं को कर्नल और ब्रिगेडियर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। महिलाओं के एक समूह ने इस बात को समानता के अधिकार से जोड़ कर देखते हुए कोर्ट में चुनौती दी।

दूसरे पक्ष से इसका जवाब यह दिया गया कि सेना में अधिकतर ग्रामीण पुरुष शामिल हैं और वह 'महिलाओं से आदेश लेने के आदी नहीं हैं' इसलिए महिलाओं को ऐसे पदों पर तरक़्क़ी नहीं दी जाती।

सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि महिला और पुरुष बराबर हैं और उनके समानता के अधिकार का इस आधार पर हनन नहीं किया जा सकता।

नागरिकों के एक समूह ने भोजन के अधिकार के लिए आन्दोलन की शुरुआत की। इस आन्दोलन से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और उनको भूख, स्वास्थ्य और अन्य भोजन संबंधी मुद्दे पर जानकारी दी गई। इस बात को लेकर एक जनहित याचिका 'पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टिस के द्वारा 2001 में दाखिल की गई। जल्द ही देश के बहुत सारे और लोग भी इस आंदोलन से जुड़ गए और इसने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया।

इस आंदोलन का विश्वास था कि 'सभी लोगों को भूख से छुटकारा पाने का मौलिक अधिकार है और इसके लिए ज़रूरी व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है'।

इसका परिणाम यह हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को पास किया गया।

महाराष्ट्र की एक ग्राम पंचायत, टिकेकरवाणी, में ग्राम स्तर पर सौरऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। वह गौ-मल, रसोई के कचरे और कृषि के कचरे से बायो – गैस का उत्पादन भी कर रहे हैं।

टिकेकरवाणी पंचायत में 15000 किलो वाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है जो विद्यालय, मंदिर, ग्राम पंचायत के कार्यालय और सड़क किनारे की लाईट में प्रयोग में लाई जाती है। यह उनके वार्षिक विकास योजना का हिस्सा है।

समानता का अधिकार
विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)
इसके तहत दो पहलू शामिल हैं - पहला, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। दूसरा, कानून सभी के अधिकारों की समान रूप से रक्षा करेगा।

धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने का सभी को समान अधिकार है। महिलाओं और बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)
सभी को सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर का अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भी नागरिक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)
किसी भी रूप में छुआछूत करना समानता का उल्लंघन है। जो भी व्यक्ति छुआछूत को अपनाता है, उसे अस्पृश्यता (निषेध) अधिनियम, 1995 के तहत दंडित किया जाएगा।

उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)
राज्य किसी को उपाधियाँ नहीं देगा जैसे की 'महाराजा' आदि क्योंकि यह समानता के विरुद्ध है। कोई भी पुरस्कार या उपाधि केवल शिक्षा या सेना में योगदान के लिए ही दिए जा सकते हैं।

स्वतंत्रता का अधिकार
वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19)
सब नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस के साथ साथ शांतिपूर्वक इकट्ठे होने, संघ बनाने, भारत में कहीं भी आने जाने, निवास करने या बस जाने; और व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
इस अनुच्छेद के तीन भाग हैं - सबसे पहले, किसी अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को केवल उस कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है जो अपराध के घटित होने के समय लागू था। दूसरा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ अपने खिलाफ बयान देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है।

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
इस अनुच्छेद के 2 भाग हैं - पहला, जीवन जीने का अधिकार। इसमें जीवन के वह सभी पहलू शामिल हैं जो कि जीवन के लिए मूलभूत और आवश्यक हैं। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी किसी पर भी व्यक्तिगत / शारीरिक रोक नहीं लगाई जा सकती है और ना ही किसी को बंदी बनाया जा सकता है। ध्यान रहे, राज्य (पुलिस राज्य का हिस्सा है) इस स्वतंत्रता पर उचित कानून के तहत ही रोक लगा सकता है।

शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क)
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)
गिरफ्तारी की वजह के बारे में सूचित करने के बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का भी अधिकार है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यह प्रिवेंटिव डिटेन्शन (PREVENTIVE DETENTION) के मामलों में लागू नहीं है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार
मानव के दुर्व्यपार और बलाश्रम पर रोक (अनुच्छेद 23)
मानव का दुर्व्यपार नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को बेगारी या बंधुआ मज़दूरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है|

कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध (अनुच्छेद 24)
१४ वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा या किसी अन्य ख़तरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)
सभी को अपने धर्म और मान्यताओं को मानने, अभिव्यक्त करने, उसका प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है।

धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
प्रत्येक को अपने धार्मिक कार्यों और इससे सम्बंधित संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और इसके लिए संपत्ति के मालिक होने आदि का अधिकार है।
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों (TAXES) के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)
किसी भी व्यक्ति को करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक समूह के प्रचार या रख-रखाव के लिए किया जाता है।

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)
धार्मिक शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता है| अगर ऐसी संस्था का प्रबंधन राज्य द्वारा हो रहा हो तो भी हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह धार्मिक शिक्षा के दौरान वहाँ उपस्थित रहे या ना रहे| एक शैक्षणिक संस्थान, जिसमें राज्य द्वारा धन (वित्त) दिया जाता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)
सभी अल्पसंख्यक-वर्गों (धर्म या भाषा के आधार पर) को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।

संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण (अनुच्छेद 31)
यह अनुच्छेद हटा दिया गया है|

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार (अनुच्छेद 32)
किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा (अनुच्छेद 38)
राज्य इस प्रकार काम करे जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। साथ ही राज्य आय, जीवन स्तर, सुविधाओ और अवसरों के अंतर को भी समाप्त करने के लिए काम करे।

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व (अनुच्छेद 39)
राज्य ऐसे काम करे कि – पहला – महिला और पुरुष को रोजगार के समान अवसर मिले; दूसरा – सार्वजनिक सम्पत्ति का सार्वजनिक हित में प्रयोग हो सके; तीसरा – आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो कि देश की सम्पत्ति कुछ लोगों में केन्द्रित हो, चौथा – समान काम के लिए समान वेतन; पांचवा – किसी को भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरुप न हो और अंततः - बच्चो को अपना विकास करने का पूरा अवसर मिले।

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39क)
राज्य एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे सबको न्याय मिले। राज्य, मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करे जिससे कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों या ऐसे किसी अन्य कारण के चलते न्याय से वंचित ना रह जाए।

ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40)
राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे और उन्हें उचित शक्तियां और सुविधाएं प्रदान करे, यह स्व-शासन को बढ़ावा देने के लिए हैं।

कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (अनुच्छेद 41)
राज्य सुनिश्चित करे कि सभी को रोजगार और शिक्षा का अधिकार मिले और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, या विकलांगता होने की स्थिति में सहायता प्रदान की जाए।

काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनुच्छेद 42)
राज्य काम करने के उचित और मानवीय दशाओं को तय करे, साथ ही प्रसूति सुविधा भी प्रदान करे।

कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि (अनुच्छेद 43)
राज्य सभी को रोजगार की गारंटी, काम की उचित परिस्थितियां, एक सभ्य जीवन स्तर, विशेष रूप से कृषि और औद्योगिक मजदूरों के लिए, सुनिश्चित करे।

उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (अनुच्छेद 43क)
राज्य यह सुनिश्चित करे कि उद्योग या अन्य संस्था के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी हो।

सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन (अनुच्छेद 43 ख)
राज्य यह भी सुनिश्चित करे और बढ़ावा दे कि स्व-सहायता समूहों का निर्माण हो जो लोकतंत्रात्मक तथा पेशेवर तरीके से प्रबंध करें और स्वालम्बी हों।

नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (अनुच्छेद 44)
राज्य समान नागरिक संहिता लागू करे, जो विवाह, तलाक़, कस्टडी, और सम्पत्ति के मामलो से सम्बंधित हो।

छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध। (अनुच्छेद 45)
राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 46)
साथ ही राज्य सभी को किसी भी तरह के सामाजिक अन्याय और हिंसा से बचाव प्रदान करे।

पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य (अनुच्छेद 47)
सार्वजनिक स्वास्थ को मापते समय, राज्य लोगों में पोषण और जीवन स्तर की ओर ध्यान दे। राज्य, शराब और अन्य नशीले पदार्थ जो स्वास्थ के लिए हानिकारक हैं, उन पर रोक लगाए।

कृषि और पशुपालन का संगठन (अनुच्छेद 48)
राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन का विकास करेगा।

पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48क)
राज्य कोशिश करे कि पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा करे और उसको बढ़ावा दे।

राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण (अनुच्छेद 49)
राज्य सुनिश्चित करे कि सभी स्मारकों, कलात्मक जगहों और चीजों की सुरक्षा हो।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (अनुच्छेद 50)
राज्य के तीन अंग हैं। वह कोशिश करे कि तीनों एक दूसरे से अलग रहें और एक दूसरे की शक्तियों पर नज़र रखे।

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 51)
राज्य अन्य राज्यों के साथ ऐसे संबंध रखे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द की स्थापना हो सके।

सोचें। समझें। करें।

अपने संविधान को जानें।
अपनी ज़िन्दगी बेहतर बनाने के लिए
इसका इस्तेमाल करें। हर दिन।

संकल्पना और लेखन

वी, द पीपल अभियान
एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य है संविधान और नागरिकता की शिक्षा के द्वारा, नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को अपनाने, समझने और उनका इस्तेमाल करने के सामर्थ्य को विकसित करना।

सहयोग

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)
NIRDPR, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, राष्ट्रीय स्तर की, ग्रामीण एवं पंचायती राज के विकास के लिए गठित, एक स्वायत्त संस्था है।

सहायता

मिशन समृद्धि
एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य इस तरह के प्रोजेक्ट का निर्माण करना और उनको विकसित करना है जो स्वा-निर्भर हों और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकें जिस से की अधिकतम लोगों पर बेहतर प्रभाव पड़े और भारत के लोगों का सम्पूर्ण विकास हो पाए।

info@wethepeopleabhiyan.org | www.wethepeopleabhiyan.org